राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लक्ष्मण बनाम बाला देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/04/2026	974/2023 पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित | अत: अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि खतौनी सं. 62 की आराजीयात खं.नं. 1/2 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खं.नं. 8/3 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, खं.नं. 9 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 19 बीघा 10 विस्वा वाकै ग्राम चिरनोटिया तह. कि. रेनवाल जिला जयपुर राज. में स्थित है जो पूर्व में गुमानसिंह पुत्र बलवन्तसिंह राजपूत नि. चिरनोटिया के कब्जें काश्त व खातेदारी में थी। जिसे गुमान सिंह ने जरिये विक्रय विलेख तारामनी धर्मपत्नि रमेशचन्द्र जैन नि. मुरलीपुरा को विक्रय कर कब्जा भौतिक व वास्तविक रूप से संम्भला दिया था जिसके आधार पर नामान्तकरण सं. 246 खुलकर राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद हो गया के पश्चात् उक्त तारामनी ने जरिये विक्रय विलेख दिनांक 17.11.04 के द्वारा वादीया को विक्रय कर दी जिसका नामान्तकरण सं. 259 दिनांक 20.11.04 वादीया के नाम खुलकर राजस्व रिकोर्ड वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2068-71 में इन्द्राज चल रहा है। प्रतिवादी सं. 1 राजकीय कार कूनानों से मिलीभगत कर उक्त आराजीयात को अपने नाम से फर्जी तोर पर दर्ज करवाकर व अमल दरामद कराकर उक्त आराजीयात को विक्रय करने के इरादें से दिनांक 12.09.14 को भू-माफिया गिरोह के सदस्यों को लाकर वादीया के कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजीयात पर लाकर अपनी आराजीयात बताकर विक्रय करने का सौदा करने लगा जिस बाबत वादीया ने प्रतिवादी को ऐसा करने से इन्कार किया व वादिया का कब्जा काश्त व खातेदारी होना जाहिर किया तो प्रतिवादी ने धमकी दी कि वे राजकीय कारकूनानो द्वारा उक्त आराजीयात मेरे नाम करवाकर अमल दरामद करवा ली है अब में तुम्हे लठ के जोर पर बेदखल करके ही रहूँगा | अत: वादीया को अपने अधिकारों की रक्षार्थ यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस समायत कर निर्णय दिनांक 18/07/2017 पारित करते हुये वादिया/रेस्पो. संख्या 1 का वाद आंशिक स्वीकार करते हुये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | जिससे राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लक्ष्मण बनाम बाला देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	974/2023	

व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के आधार पर एवं विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों के माध्यम से प्रतिपादित सिद्धांतो के अध्ययधीन प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है | गुणावगुण पर बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से नही हो पाने की आपत्ति जाहिर कर न्यायालय के निर्णयों की पालना किये जाने की हद तक अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने की ईस्तदुआ मुख्य रूप से की गयी हो, जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त समझा जाता है एवं न्यायालय के निर्णयों की पालना हेतु अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में शिथिलता प्रदान किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय की पालना किये जाने की हद तक अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 18/07/2017 को शिथिल एवं प्रभावहीन किया जाकर शेष अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 18/07/2017 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 10/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर